



तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

पत्र पेटी क्र -५१६ औरंगाबाद - ४३१ ००५

(०२४०)२३३४२१६(P) २३३४७६९(O) Fax-२३५६८२०

<http://www.dteau.org>

roaurangabad.dte@gmail.com



अत्यंत महत्वाचे

जाक्र/विकाऔ/शिक्षण/२०१३/ E ७ 23

दिनांक :- E 5 SEP 2013

प्रति,

प्राचार्य,

विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित
अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र/पदविका,पदवी
व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्था
औरंगाबाद विभाग.

विषय :- खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची व शिक्षण शुल्काची माहिती विवरण पत्रात भरून पाठविण्या बाबत.

शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ पासून खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांची संख्या व शैक्षणिक शुल्काच्या ५०% प्रतिपूतीबाबतच्या रक्कमेची माहिती सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रात भरून दिनांक १३/०९/२०१३ पर्यंत या कार्यालयास सादर करण्यात यावी.

ज्या संस्थांची माहिती दिनांक १३/०९/२०१३ पर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणार नाही. अशा संस्थांची माहिती ही संचालनालयास कळविण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

प्र.सहसंचालक,

तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

प्रत :- या कार्यालयाच्या प्रोग्रामर यांना सुचित करण्यात येते की, सदरील पत्र हे या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर ईबीसी मागणी २०१३-१४ या शिर्षाखाली प्रसिध्द करावे.

खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणा-या आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या ५० टक्के प्रतिपूर्तीबाबत महसंचालक, तंत्रशिक्षण, विभागीय कार्यालय, यांनी द्यावयाचे माहितीचे विवरणपत्र

तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाचे नाव :-

| अ.क्र. | अभ्यासक्रम | लाभ दिलेल्या संस्थांची एकूण संख्या | आर्थिक वर्ष २०१३-१४ | | | | | | एकूण | | | |
|--------|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|------|--|---|--|
| | | | प्रथम वर्ष | | द्वितीय वर्ष | | तृतीय वर्ष | | | चतुर्थ वर्ष | | |
| | | | आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी संख्या | प्रतिपूर्ती करावयाचे ५०% शिक्षण शुल्क (रु.) | आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी संख्या | प्रतिपूर्ती करावयाचे ५०% शिक्षण शुल्क (रु.) | आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी संख्या | प्रतिपूर्ती करावयाचे ५०% शिक्षण शुल्क (रु.) | | आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी संख्या | प्रतिपूर्ती करावयाचे ५०% शिक्षण शुल्क (रु.) | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | |
| अ) | पदाविका | | | | | | | | | | | |
| १ | अभियांत्रिकी | | | | | | | | | | | |
| २ | औपचारिकनिर्माणशास्त्र | | | | | | | | | | | |
| ३ | हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (अ) | | | | | | | | | | | |
| ब) | पदवी | | | | | | | | | | | |
| १ | अभियांत्रिकी | | | | | | | | | | | |
| २ | औपचारिकनिर्माणशास्त्र | | | | | | | | | | | |
| ३ | वास्तुशास्त्र | | | | | | | | | | | |
| ४ | हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (ब) | | | | | | | | | | | |
| क) | पदव्युत्तर पदवी | | | | | | | | | | | |
| १ | गृहविण/प्रसास | | | | | | | | | | | |
| २ | गृहमणी | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (क) | | | | | | | | | | | |
| | एकूण स्थूल रक्कम (अ + ब + क) | | | | | | | | | | | |